फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी श्री दीपक विपक्षी श्री खेमराज

किस्म मुकदमा 53. पत्रावली संख्या _____ सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	06/6/22 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रति./विपक्षी/रेस्पो. को जरिये सम्मन/ टिस तलाब किये जाव। पत्रावली बाद ...ी दिनांक 5/7/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) मावली	
	5/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 19/7/22 को पेश हो।	
	19/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 28/7/22 को पेश हो।	
	28/7/22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] पत्रावली दिनांक 30/8/22 को पेश हो।	
	30/8/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 20/9/22 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:57:23 IST
Reason: SelfAttested

20/9/22
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 27/10/22 को पेश हो।

27/10/22
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 24/11/22 को पेश हो।

24/11/22
प्रार्थी वा पी/ प्रतिवादी उप./ सम्मन के तामिल के लिये मौका पर हते है। अतः अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 27/01/23 को पेश हो।

SDO मावली

27/1/23
पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश डांगी द्वारा वकालत पत्र पेश किया, श्री फा. रहे। विपक्षीगण के नोटिस पेश होने पर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 31/1/23 को पेश हो।

31/1/23
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी अनुपस्थित। आवंजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके है, अनुपस्थित है। अतः अधिवक्ता मय वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली जैसा-उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:57:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली